न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 05 / 2024

अनवान : –

1. फुलचन्द पुत्र मोमनराम जाति धानक निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र मोमनराम जाति धानक निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी**
श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक:** 02/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 90 / 88 के ख0न0 127 / 1 की कुल 4.5520 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 139 / 134 की कुल 4.5660 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो जोत विभाजन करते समय पारिवारिक प्रेम की वजह से रास्ता मन्जुर कराते हुए खाता विभाजन करवा लिया प्रार्थी भक्त व सेवा भावी व्यक्ति है तथा सामाजिक उत्थान में कार्य करने की वजह से अपने खेत में डेरा बना रखा है तथा प्रवचन आदि के कार्य हेतु खेत में डेरा बना रखा है। प्रवचन आदि सुनने के लिए बाहर से लोग आते है तथा साधन लेकर भक्त जन आदि आते है किन्तु रास्ता मंजुर न होने की वजह से प्रार्थी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी मंजुर शुदा सड़क के ख0न0 127 / 3 के उत्तरी पासा में 220 गुणा 30 बराबर 6600 वर्गफुट यानि 0.061314 हैक्ट भूमि में रास्ता मंजुर करवा पाने का अधिकारी है। रास्ता के बदले की भूमि में अप्रार्थी को रकम / जमीन अदालत उचित समझे प्रार्थी अप्रार्थी को देने को तैयार है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र सायल मुताबिक इस्तदुआ स्वीकार किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई ऐतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:25:03 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चैनपुरा के अप्रार्थी संख्या 1 के खाता संख्या 139 / 134 के ख0न0 127 / 3 के उत्तरी पासा में 220 गुणा 30 बराबर 6600 वर्गफुट यानि 0.061314 हैक्ट भूमि का रास्ता स्वीकृत किया जावे एवं रास्ता के बदले की भूमि में प्रार्थी के चिपते

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हुई भूमि अप्रार्थी के खाता से कम की जाकर प्रार्थी के नाम दर्ज की जावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल प्रार्थना पेश किया जा चुका है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 90/88 के ख0न0 127/1 की कुल 4.5520 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 139/134 की कुल 4.5660 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं गैरसायलान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चैनपुरा में गैरसायल संख्या 1 के खाता संख्या 139/134 के ख0न0 127/3 के उत्तरी पासा में 220 गुणा 30 बराबर 6600 वर्गफुट यानि 0.061314 हैक्ट भूमि का रास्ता स्वीकृत किया जाता एवं रास्ता के बदले की भूमि में प्रार्थी के चिपते हुई भूमि अप्रार्थी के खाता से कम की जाकर प्रार्थी के नाम दर्ज की जावे। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/05/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:25:03 IST
Reason: SelfAttested